ISSN: 2456–4397 RNI No.UPBIL/2016/68067 Vol-5* Issue-9* December-2020
Anthology : The Research

पर्यावरण प्रबंधन व मानवाधिकार

Enviournment Management and Human Rights

Paper Submission: 15/12/2020, Date of Acceptance: 26/12/2020, Date of Publication: 27/12/2020

बबीता काजल
सह आचार्य,
हिन्दी विभाग,
चौ. बल्लूराम गोदारा राजकीय कन्या महाविद्यालय,
श्रीगंगानगर, राजस्थान, भारत

सारांश

व्यक्ति के सम्पूर्ण व्यक्तित्त्व का विकास करना अधिकारों व मूलाधिकारों का उद्देश्य है। मानव कल्याण की कामना सभ्यता का उच्चत्तम लक्ष्य है और भारतीय संस्कृति का बीज तत्त्व भी है। मानव जीवन को सुरक्षित,सुखी व शांतिपूर्ण बनाने के लिए मानवाधिकार की संकल्पना की गई। मनुष्य जीवन को श्रेठ बनाने में परिवेश की ही भांति पर्यावरण भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पर्यावरण के साथ खिलवाड़ सम्पूर्ण मानव जाति के–"जीने के अधिकार" का हनन है। प्राकृतिक आपदाएं मानव सभ्यता के लिए चेतावनी की तरह है। पर्यावरण क्षरण को रोकना हजारों वर्षों की मानव सभ्यता को सुरक्षित रखने की दिशा में सकारात्मक कदम होगा। पर्यावरण को नुकसान पहुंचा कर मानव को जो आघात पहुँचाया गया है उसका एक मात्र उपाय है पर्यावरण प्रबंधन। शिक्षा,शोध व जागरूकता के माध्यम से पर्यावरण मैत्री स्थापित करके प्रकृति से श्रेष्ठ सामंजस्य ही मानवाधिकार की मूल संकल्पना को साकार करेगा।

Developing the full personality of the person is the aim of rights and privileges. The desire for human welfare is the highest goal of civilization and is also the seed element of Indian culture. Human rights were conceptualized to make human life safe, happy and peaceful. Like the environment, environment also plays an important role in making human life excellent. Playing with the environment is a violation of the "right to live" of the entire human race. Natural disasters are a warning to human civilization. Preventing environmental degradation will be a positive step towards protecting thousands of years of human civilization. Environmental management is the only solution to the harm done to humans by damaging the environment. By establishing environmental friendship through education, research and awareness, only harmony with nature will realize the basic concept of human rights.

मुख्य शब्द : पर्यावरण असंतुलन, मानवाधिकार, प्राकृतिक आपदाएं।
Environmental Imbalances, Human Rights, Natural Disasters.

प्रस्तावना

''अधिकार का अभिप्राय राज्य द्वारा व्यक्ति को दी गई कुछ कार्य करने की स्वतंत्रता अथवा सकारात्मक सुविधा प्रदान करना है जिससे व्यक्ति अपनी शारीरिक, मानसिक एवं नैतिक शक्तियों का पूर्ण विकास कर सकें।''[1] मानवीय अधिकार सभी व्यक्तियों के लिए एक समान है। इसलिए मनुष्य जीवन की सार्थकता अपने विकास के साथ साथ दूसरों के विकास के अधिकार का सम्मान करने और उन्हें उपयोग में लाने का अवसर देने में ही है। भारतीय संस्कृति में मानवाधिकारों की अवधारणा का बीज अत्यंत प्राचीन काल से मौजूद रहा है।

अध्ययन का उद्देश्य

पर्यावरण असंतुलन के कारण उत्पन्न विकट स्थितियों का संज्ञान लेते हुए पर्यावरण प्रबंधन के माध्यम से मानव सभ्यता के संरक्षण की दिशा में कार्य करना व जागरुकता उत्पन्न करना। पर्यावरण को मानवाधिकार से जोड़ कर पर्यावरण शिक्षा व जागरूकता की आवश्यकता पर बल देना।

विषय विस्तार

सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित दुःख भागभवेत्।

यह सिद्धान्त ही दर्शाता है कि मानव का कल्याण ही इस सभ्यता का उच्चतम लक्ष्य है मनुष्य को सुखी और शान्तिपूर्ण जीवन जीने के अधिकार को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से ही मानवाधिकार की संकल्पना की गई। व्यक्तिगत तथा सामूहिक रूप से मनुष्य के तीन मुख्य तथा अन्तर्सम्बन्धित लक्ष्य रहे हैं–

जीवन अस्तित्व बनाए रखना, जीवन का भरण पोषण तथा जीवन की

सुरक्षा। पर्यावरण के बिना इन तीनों ही लक्ष्यों को पूरा नहीं किया जा सकता। जीवित रहने के लिए पर्यावरण की सुरक्षा तथा परिस्थितकीय संतुलन अर्थात् ताजी हवा, पेयजल, स्वास्थ्यपूर्ण वातावरण इत्यादि की आवश्यकता होती है। भरण पोषण से तात्पर्य है जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति। सुरक्षा में मानव के मौलिक अधिकारों की समाज तथा राज्य द्वारा मान्यता सुनिश्चित करने और उनका उपभोग करने के लिए सामाजिक सहमति व वैधानिक आश्वासन मिलने की आवश्यक दशाओं का समावेश होता है। जीवित रहने के लिए मनुष्य का सीधा संबंध पर्यावरण से होता है अतः पर्यावरण संरक्षण का प्रश्न सीधे 'जीने के अधिकार' से जुड़ा है जिसकी उपेक्षा करना मानव जीवन के लिए भयंकर संकट उत्पन्न करेगा। अपनी सुख सुविधाओं के लिए मनुष्य पृथ्वी और उसके पर्यावरण के साथ खिलवाड़ करके न केवल स्वयं के बल्कि सम्पूर्ण मानव जाति के 'जीने के अधिकार' का हनन कर रहा है। दिसम्बर 2016 में दिल्ली में पर्यावरणीय आपातकाल ने सबको सोचने को मजबूर कर दिया कि शुद्ध वायु की कीमत क्या है? चैन्नई की बाढ़ ने हमें चेताया कि शुद्ध जल की एक बूंद की क्या कीमत होती है? नेपाल में भूकम्प के एक झटके के साथ और केदारनाथ में बाढ़ के साथ हजारों लोगों की जान एक साथ जाना कई सवाल खड़े करता है? शहरीकरण, बढ़ती जनसंख्या एवं पर्यावरण को बढ़ते नुकसान के कारण पिछले कुछ वर्षों में दुनिया भर में आपदाओं से होने वाले जानमाल का नुकसान बढ़ता जा रहा है। 1984 में भोपाल गैस त्रासदी, 2013 में उतराखण्ड में बाढ़, 2011 में कुकुशिमा दाइची परमाणु आपदा, जो अपने पीछे मौत की बर्बादी छोड़ गई, मानव जनित आपदा थी जिसे टाला जा सकता था। विकास के नाम पर होने वाला अंधाधुंध औद्योगीकरण आज इस खूबसूरत नीले ग्रह के अस्तित्व को चुनौती दे रहा है। डॉ. मनु कोठारी के मुताबिक शहरीकरण ने सांप, बिच्छू, छिपकली जैसे सरीसृप वर्ग की कई प्रजातियां लुप्तप्राय कर दी हैं। ये जीव सूर्य की किरणों से धरती पर आने वाली लगभग 14 प्रतिशत किरणों की ऊर्जा खा जाते थे। एक फनधारी नाग 273 डिग्री केल्विन गर्मी अपनी आंखों से सोख लेता है। एक तितली समूह पूरी सुनामी को रोक सकता है। व्हेल और चुनिक सॉलमन सरीखी मछलियां समुद्री पानी का खारापन कम करती हैं। हमारे तथाकथित विकास में इनका तेजी से विनाश हुआ है। परिणाम यह है कि सूर्य की किरणों की लगभग 1.87 प्रतिशत गर्मी को शोषित कर लेने वाले जीव पृथ्वी से लुप्त हो चुके हैं और ये सिलसिला जारी है। डॉ. पूनम तिवारी के मुताबिक चींटी की एक प्रजाति नष्ट होती है तो एक हजार किस्म के पेड़ पौधे जो सूर्य की लगभग एक प्रतिशत गर्मी सोखते हैं, समाप्त हो जाते हैं।[2] पशुओं को दी जाने वाली डाइक्लोफेनिक दवा के कारण आज प्रकृति के सफाई कर्मी गिद्ध हमारे बीच से गायब हो रहे हैं। घटती मधुमक्खियों की संख्या भी चेतावनी है। इसके घटने का प्रमुख कारण संचार प्रौद्योगिकी की तरंगे हैं। जिसके कारण अपने आवास को नहीं ढूंढ पाते हैं। ये छोटे छोटे जीव जैव विविधता व पर्यावरणीय संतुलन के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। दरअसल ये पर्यावरणीय प्रबंधन के प्राकृतिक संसाधन हैं जिनके नष्ट होने से हमारे आस पास की लय भंग हुई है और हम स्वयं के जीवन में विष घोलने का कारण बने हैं। अल्बर्ट आइंसटीन ने कहा था–"धरती से मधुमक्खियों की समाप्ति का अर्थ है मानव प्रजाति का उन्मूलन।"[3] शायद यही कारण है कि पिछले दस साल में वायु प्रदूषण के कारण होने वाली मौतों में 6 गुना इजाफा हुआ है। 2000 में जहां वायु प्रदूषण के कारण होने वाली मौतों की संख्या एक लाख थी वहीं 2010 में यह आंकड़ा 6.2 लाख तक पंहुच चुका है।[4] यही नहीं हवा में घुलता जहर जिंदगी को लीलने के साथ बची जिंदगी को अपंग भी बना रहा है। आनुवांशिक विकृतियां भी पर्यावरण प्रदूषण के प्रभाव में विकलांगता को जन्म देती हैं इसलिए हम स्वस्थ जीवन बिताएं तथा हमारी आने वाली संताने भी स्वस्थ रहें इस मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए पर्यावरण की रक्षा आवश्यक है। स्वयं वैज्ञानिक आर.सी. पचौरी खतरे से आगाह करते हैं कि सन् 2080 तक यानी आने वाले 75 बरसों में टोक्यो और न्यूयार्क में ही बाढ़ के पानी से सत्तर लाख लोग मर सकते हैं।[5] आईपीसीसी की रिपोर्ट के मुताबिक शताब्दी के आखिर तक दुनिया भर के करीब 1 अरब लोगों के सामने पानी की किल्लत होगी।[6] ग्लोबल वार्मिंग यानि पृथ्वी का तापमान बढ़ना भविष्य के अनेक खतरों की ओर इशारा करता है। यदि इक्कीसवीं सदी में दुनिया के देशों ने समझदारी के साथ ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को नियंत्रित नहीं किया तो पृथ्वी का तापमान सदी के अंत तक 4 या 5 डिग्री तक बढ़ सकता है जिसका अर्थ है मरूस्थलीकरण बढेगा, प्रतिव्यक्ति पानी की उपलब्धता घटेगी, भूजल भंडार घटेगा और मानव जाति के लिए संकट ही संकट।

वनों के ह्रास की प्रक्रिया पर्यावरण को सीधे तौर पर प्रभावित करती है, बावजूद इसके भारत सहित दुनिया के अधिकांश देशों के वन क्षेत्रों में तेजी से कमी आ रही है। राष्ट्रीय वन नीति के मुताबिक हमारे देश में 33 फीसदी वन की उपलब्धता पर्यावरण के लिए अनुकूल होती है जबकि हमारे यहां केवल 23 फीसदी वन शेष बचे हैं। संयुक्त राष्ट्र की जी एफ आर ए 2015 रिपोर्ट में यह पता चला है कि 1990 और 2015 के बीच कुल वन क्षेत्र में तीन प्रतिशत की कमी आई है। कलकत्ता विश्वविद्यालय के डॉ. के.टी. दास ने अपने विश्वस्तरीय पर्यावरणीय अनुसंधान से सिद्ध किया कि औसत आयु के स्वस्थ वृक्ष के काटने पर 0.3 प्रतिशत ही उत्पादन लकड़ी हमें प्राप्त होती है और वृक्ष के 99.7 प्रतिशत अन्य उत्पादों से हम वंचित रह जाते हैं।[7] जलवायु परिवर्तन संबधी सम्मेलनों में गंभीरता से विचार किया जा रहा है कि पृथ्वी का तापमान बढ़ने से कैसे रोका जाए? इस हेतु सरकारों द्वारा निरन्तर प्रयास किए जा रहे हैं। विभिन्न संगठन, कानून आदि अपना कार्य कर रहे हैं लेकिन कानूनों की सख्ती से अनुपालना की आवश्यकता है। प्रौद्योगिकी व पर्यावरण के संबध को समझना भी आवश्यक है। प्रौद्योगिकी पर्यावरण का उपयोग करे वहां तक ठीक है मगर उसका दोहन हरगिज ना करे। अगर हमारे सामने पर्यावरण व प्रौद्योगिकी में से एक को चुनने का विकल्प आए तो निश्चित रूप से पर्यावरण को चुनना चाहिए क्योंकि

प्रौद्योगिकी का विकल्प है, लेकिन पर्यावरण का कोई विकल्प नहीं है।

पर्यावरण प्रबन्धन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष पर्यावरण शिक्षा एवं शोध है। इसके अन्तर्गत पर्यावरण जागरूकता, प्रचार–प्रसार, पर्यावरण शिक्षा को मूल शिक्षा की विषय सामग्री से जोड़ना, नवीन तकनीकी खोज, पर्यावरणीय अपघटन व प्रदूषण पर शोध कार्यों को बढ़ावा देने जैसे कार्य बड़े स्तर पर हों। पर्यावरण प्रबन्धन में पर्यावरण शिक्षा को सम्मिलित करने का उद्देश्य पृथ्वी पर समस्त पर्यावरणीय क्रियाओं को लेकर शिक्षण प्रशिक्षण तकनीकी आदि पर कार्य किया जाए। पर्यावरणीय शिक्षा प्रशिक्षण में पर्यावरण समस्याओं जैसे ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस प्रभाव, ओजोन छिद्र, अम्ल वर्षा आदि का हल खोजा जाए। उदाहरण स्वरूप भारत के दस प्रमुख शहरों में हवा का हाल जानने के लिए वायु शुद्धता सूचकांक लगाए जाना, जो हवा में विद्यमान प्रदूषण का मूल्यांकन दिखाते हैं। इको फ्रैंडली भवनों का निर्माण किया जाए। उद्योगों व कल कारखानों को पर्यावरण मित्रता का पाठ पढाया जाए, कम दूरी के लिए वाहनों के स्थान पर साईकिल का प्रयोग हो। संसाधनों की रीसाईक्लिंग की जाए। ऊर्जा का अधिकाधिक संरक्षण हो। हरित उत्सव का संकल्प लेते हुए पौधे लगाने भर तक ही सीमित न रह कर उसके पालन पोषण व संवर्धन का दायित्व भी उठाया जाए। पर्यावरण में विद्यमान सभी घटकों के विषय में अधिकाधिक जानकारी प्राप्त की जाए। समन्वित दृष्टिकोण अपनाया जाए। जन साधारण को जागरूक बनाया जाए। पर्यावरण से सम्बन्धित समस्या मानवता और सभ्यता की साझी समस्या है। मानवाधिकार आयोग के सदस्य रहे पीसी शर्मा के अनुसार ''व्यक्ति के चतुर्मुखी विकास के लिए जिन अनुकूल एवं महत्वपूर्ण स्थितियों की आवश्यकता होती है उसी सम्पूर्णता का नाम मानवाधिकार है।[8] इस दिशा में विकासशील देशों के बराबर विकसित देशों को भी सम्मिलित प्रयास करने होंगे। जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अरिजीत पसायत ने कहा है– '' बड़े व्यवसाय से ऊपर मैं सरकार को मानता हूं और सरकार के ऊपर व्यक्तिगत स्वतत्रंता को लेकिन इन सबसे ऊपर पर्यावरण है। ''[9]

निष्कर्ष

आवश्यकता इस बात है कि सब लोग प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करें। निहित स्वार्थो की पूर्ति के लिए उसको क्षति पहुँचाना बंद करें। कारखानों से निकलने वाली गैसों का सही निस्तारण हों। उपयोग में लाए जाने वाले अपशिष्ट का पुनः चक्रण किया जाए। पर्यावरण मैत्री प्रक्रिया चलाई जाए, वन्य प्राणियों की संख्या में वृद्धि का ध्यान रखते हुए उनके प्रजनन की सुरक्षा की जाए, जल में अपशिष्टों के विसर्जन को रोकने तथा अपशिष्ट से प्रभावित जल के पुनः शुद्धिकरण के उपाय किए जाएं। विकास की निरन्तरता और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण एक दूसरे के पूरक बने रहें। तभी अनमोल मानव सभ्यता की रक्षा होगी और उसके अधिकारों की भी क्योंकि मानव है तो मानवाधिकार हैं। राजस्थान के प्रमुख साहित्यकार डॉ॰ बद्री प्रसाद पंचोली ने यो ही नहीं कहा कि– वृक्ष लताओं से भरा। यह सारा संसार/हरा–भरा/मन को करे/ कर जीवन संचार/ दस कूपों सम बावड़ी/ दस वापी सा पूत/ दस पुत्रों सा वृक्ष है। करता सुख आहूत।।

सन्दर्भ ग्रंथ सूची

1. *महिलाएं व मानवाधिकार –श्रीमती पूजा शर्मा– सागर पब्लिशर्स, जयपुर– पृ.सं. 1*
2. *नवनीत– जून 2007– सं. विश्वनाथ सचदेव– ''हम कहां ले जा रहे है, अपनी पृथ्वी को'' – राजेश झा – पृ.सं. 14*
3. *योजना–जनवरी 2017–''प्रकृति और इंसान के बीच संघर्ष''–भंवर विश्वेन्द्र राज सिंह–पृ.सं. 49*
4. *www.pravakta.com ''पर्यावरण संरक्षण और भारत''– प्रभांशु ओझा*
5. *नवनीत– जून 2007– सं. विश्वनाथ सचदेव– ''हम कहां ले जा रहे है, अपनी पृथ्वी को'' – राजेश झा–पृ.सं. 19*
6. *नवनीत– जून 2007– सं. विश्वनाथ सचदेव– ''हम कहां ले जा रहे है, अपनी पृथ्वी को''– राजेश झा–पृ. सं.22*
7. *प्रतियोगिता दर्पण– नवम्बर 2009 पर्यावरण प्रबन्धन– लाखन सिंह सिनवार पृ.सं. 758*
8. *योजना अप्रेल 2010– मानवाधिकार – नयी दिशाएं– ब्रजेश कुमार पृ.सं.–52*
9. *योजना – जून 2007– पर्यावरण एक साझी समस्या है– प्रांजल धर पृ.सं. 41*